



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]
No. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 1993/वैशाख 3, 1915
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 1993/VAISAKHA 3, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1993

सीमेंट उपकर नियम, 1993

का.आ. 264 (अ) :—सीमेंट उपकर नियम, 1993 का प्रारूप उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 126 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1993 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 24 फरवरी, 1993 में उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, तीस दिन के भीतर जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र

जनसाधारण के लिए उपलब्ध हुआ था, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र जनसाधारण को 9 मार्च, 1993 को उपलब्ध किया गया था;

और उक्त प्रारूप पर जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार, ने विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमेंट उपकर नियम, 1993 है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है;



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240]
No. 240]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 23, 1993/वैशाख 3, 1915
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 23, 1993/VAISAKHA 3, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1993

सीमेंट उपकर नियम, 1993

का.आ. 264 (अ) :—सीमेंट उपकर नियम, 1993 का प्रारूप उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 126 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1993 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 24 फरवरी, 1993 में उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, तीस दिन के भीतर जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र

जनसाधारण के लिए उपलब्ध हुआ था, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और उक्त राजपत्र जनसाधारण को 9 मार्च, 1993 को उपलब्ध किया गया था;

और उक्त प्रारूप पर जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार, ने विचार कर लिया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम :—इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमेंट उपकर नियम, 1993 है।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अभिप्रेत है;

(ख) “उपकर” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए औद्योगिक विकास विभाग के आदेश सं. का.आ. 125 (अ) तारीख 24 फरवरी, 1993 के निबंधनों के अनुसार उद्गृहीत और संगृहीत उपकर अभिप्रेत है;

(ग) “संग्रह करने वाला अभिकरण” से अभिप्रेत है सीमेंट उद्योग विकास आयुक्त, भारत सरकार अथवा ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उसकी ओर से उपकर की रकम संगृहीत करने के लिए प्राधिकृत किया जाए;

(घ) “विकास परिषद्” से अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित सीमेंट उद्योग विकास परिषद् अभिप्रेत है;

(ङ) “सीमेंट” से भारत में विनिर्मित सीमेंट की कोई भी किस्म अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पोर्टलैंड पोर्जोलाना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, जलसह (हाइड्रोफोबिक) सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, निम्न ताप सीमेंट, चिनाई सीमेंट, उच्च क्षमता वाला साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, तेलकूप सीमेंट और श्वेत सीमेंट है ;

(च) “विनिर्माता” से सीमेंट का उत्पादन करने वाला कोई सीमेंट संयंत्र अभिप्रेत है किंतु इसके अन्तर्गत रोटरी भट्टों पर आधारित 99000 टन प्रति वर्ष से और बटिकल शाफ्ट भट्टों पर आधारित 66000 टन प्रति वर्ष से कम क्षमता के सीमेंट संयंत्र नहीं हैं ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या नियमों में हैं।

3. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—(1) प्रत्येक विनिर्माता, संग्रह करने वाले अभिकरण को, प्रत्येक मास की 15 तारीख को या उसके पहले, पूर्ववर्ती मास के दौरान अपने उपक्रम में विनिर्मित या उत्पादित और वहां से हटाए गए सीमेंट के स्टाकों से संबंधित एक विवरणी इन नियमों के उपाबंध में निर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत करेगा; (2) यदि कोई विनिर्माता उपनियम (1) में निर्दिष्ट तारीख के भीतर उक्त विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में संग्रह करने वाले अभिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि वह अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण है, तो संग्रह करने वाला अभिकरण विनिर्माता को उसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित सीमेंट से संबंधित उसके सभी लेखाओं या उनमें से किसी लेखा को प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा।

4. उपकर के आगम—(1) प्रत्येक विनिर्माता पूर्ववर्ती मास के लिए यथाशीघ्र उपकर की रकम आगामी मास की 15 तारीख तक संग्रह करने वाले अभिकरण के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट के माध्यम से विप्रेषित करेगा।

(2) उपकर के आगम पहले शीर्ष “0852—उद्योग-सीमेंट पर उपकर” के अधीन भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् ऐसे आगमों में से संग्रहण लागत की कटौती करने के पश्चात् ऐसी राशि, जो वह आवश्यक समझे, विकास परिषद् को सौंप देगी।

5. खाता खोलना—विकास परिषद् द्वारा नियम 4 के अधीन प्राप्त की गई रकम भारतीय स्टेट बैंक में खाते में रखी जाएगी।

6. विकास परिषद् के लेखे—(1) विकास परिषद् नियम 4 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई रकम के संबंध में समुचित लेखा रखेगी।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखा विवरण, उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

7. विकास परिषद् के बजट प्राक्कलन—(1) विकास परिषद्, प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी और उसे केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए ऐसी तारीख को या उसके पहले, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगी।

(2) कोई व्यय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार बजट की मंजूरी प्रदान नहीं कर देती।

(3) बजट केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

8. वे प्रयोजन जिनके लिए उपकर के आगमों का उपयोग किया जाएगा—अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार, उक्त धारा के अधीन संगृहीत उपकर के आगमों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :—

(1) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद् की, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत सोसायटी है; सहायता करने के लिए, उसके आवर्ती व्यय को अंशतः पूरा करने के लिए, अग्रक्षयण, पूंजी व्यय, जो सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत नहीं आता है, के लिए व्यवस्था, और सीमेंट उद्योग के हित में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, जो विकास परिषद् द्वारा विनिश्चित किए जाएं, चलाना;

- (2) उत्पादकता सुधार जिसके अन्तर्गत उत्पादन, ऊर्जा, अनुरक्षण, क्वालिटी, पर्यावरण संबंधी सुधार और लागत में कमी है, के लिए मानक और कार्य-पद्धति का सुझाव देना;
- (3) सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री का पता चलाने और उसके सर्वोत्तम उपयोग में मार्गदर्शन और सहायता की व्यवस्था करना;
- (4) सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने और आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन और इंजीनियरी अवलंब की व्यवस्था करना;
- (5) सीमेंट विनिर्माण के लिए नई सामग्री और प्रक्रिया का विकास, जिसके अन्तर्गत उन्नत रिफ़ैक्ट्री भी है;
- (6) सीमेंट उद्योग के लिए पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों का, जिसके अन्तर्गत चूना-पत्थर खादानों और सीमेंट संयंत्रों में धूल उत्सर्जन, शोर प्रदूषण का नियंत्रण और पर्यावरण संबंधी समाधात निर्धारण हैं, संप्रवर्तन करना;
- (7) सीमेंट विनिर्माण में स्तरमान निर्धारण और क्वालिटी नियंत्रण कार्यक्रमों का, जिसके अन्तर्गत सीमेंट उद्योग को परीक्षण और अंशशोधन अवलंब सेवा की व्यवस्था करना भी है, संप्रवर्तन करना;
- (8) सीमेंट के लिए रेल, सड़क और जल मार्गों द्वारा थोक प्रदाय और वितरण पद्धति का विकास और पैकेजिंग के लिए उन्नत पद्धति;
- (9) सीमेंट उद्योग में लगे या लगने का इरादा करने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण का और उससे संगत तकनीकी या कलात्मक विषयों में उनकी शिक्षा का संप्रवर्तन करना;
- (10) सीमेंट उद्योग के लिए राष्ट्रीय ग्रांकों का बैंक और सूचना सेवा तथा पुस्तकालय और प्रलेखीकरण सेवा का विकास और प्रकाशनों द्वारा औद्योगिक सूचना का प्रसार;
- (11) उत्पादन के लिए लक्ष्यों की सिफारिश करना, उत्पादन कार्यक्रमों का समन्वय करना और समय-समय पर उसकी प्रगति का पुनर्विलोकन करना;
- (12) सीमेंट उद्योग के लिए सामग्री के वितरण में सहायता करना और सामग्री अभिप्राप्त करने के लिए प्रबंध का संप्रवर्तन करना;
- (13) श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ग्रंथ्युपायों के, जिसके अन्तर्गत काम को अधिक सुरक्षित और बेहतर स्थिति को सुनिश्चित करने के ग्रंथ्युपाय भी हैं, अंगीकार का संप्रवर्तन करना और कर्मकारों के लिए सुख-सुविधाओं में सुधार और प्रोत्साहन की व्यवस्था करना;
- (14) कम से कम प्रशासनिक व्यय करना, जो उसके कृत्यों के निर्वहन में अन्तर्बलित हों, जिसके अन्तर्गत विकास परिपद के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता भी है।

उपाबंध

(नियम 3 देखिए)

सीमेंट उपकरण नियम, 1993 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी का प्रारूप

को समाप्त होने वाला मांस

कारखाने का नाम _____

पता

उपकर के अधीन माल का आरंभिक अतिशेष		उपकर के अधीन विनिर्मित माल		उपकर के अधीन हटाया गया माल	
वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अंत अतिशेष	हटाई गई मात्रा पर उद्ग्रहणीय उपकर की रकम	टिप्पणियां
वर्णन	मात्रा	
(7)	(8)	(9)
		(10)

टिप्पणी : —सीमेंट की प्रत्येक किस्म के संबंध में पृथक प्रविष्टि की जानी चाहिए।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दर्शित विशिष्टियों का अपने कारखाने के अभिलेखों और बहियों से मिलान कर लिया है और जहां तक मैं/हम अभिनिश्चित कर सकता हूँ/सकते हैं, वे सही और पूर्ण हैं।

तारीख: —————

विनिर्माता के हस्ताक्षर

[फा.सं. 13 (5)/90-सीमेंट]

ए.पी. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1993

CEMENT CESS RULES, 1993

S.O. 264 (E).—WHEREAS the draft of the Cement Cess Rules, 1993 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th February, 1993, with the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 126(E), dated the 24th February 1993, as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within thirty days from the date on which the Gazette containing the said notification was made available to the public;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 9th March 1993;

AND WHEREAS the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 30 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title.—These rules may be called the Cement Cess Rules, 1993.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (b) "Cess" means the cess levied and collected in terms of Order No. S.O. 125 (E) dated 24th February, 1993 of Department of Industrial Development, issued under sub-section (1) section 9 of the Act;
- (c) "Collecting Agency" means the Development Commissioner for Cement Industry, Government of India, or such other officer or authority as may be authorised by the Central Government to collect the amount of cess on its behalf under the Act;
- (d) "Development Council" means the Development Council for Cement Industry established under section 6 of the Act;
- (e) "cement" means any variety of cement manufactured in India, and includes portland pozzolana cement, blast furnace slag cement, water-proof (hydrophobic) cement, rapid hardening cement, low heat cement, masonry cement, high strength ordinary portland cement, oil-well cement and white cement;
- (f) "manufacturer" means any cement plant producing cement, excluding cement plants of capacity less than 99,000 tonnes per

annum based on rotary kiln and 66000 tonnes per annum based on vertical shaft kilns.

- (g) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or the rules made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. Submission of Returns—(1) Every manufacturer shall submit to the Collecting Agency, on or before the 15th of every month, a return in the Form specified in the Annexure to these rules, relating to stocks of cement manufactured or produced in, and removed from his undertaking during the previous month; (2) If any manufacturer fails to furnish the said return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collecting Agency has reason to believe is incorrect or defective, the Collecting Agency shall serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the cement manufactured or produced by him.

4. Proceeds of the Cess

- (1) Every Manufacturer shall remit the amount of cess as due for the previous month by the 15th of the following month through demand draft in favour of the Collecting Agency.

- (2) The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head "0852-Industries—Cess on Cement" and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

5. Opening of Accounts.—The amount received by the Development Council under rule 4 shall be kept in an account with the State Bank of India.

6. Accounts of the Development Council.—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under rule 4.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Central Government.

7. Budget estimates of the Development Council.—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

961 GI/93—2

8. Purposes for which the proceeds of the Cess shall be utilized.—In accordance with clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section 4 of section 9 of the Act, the proceeds of the cess collected under the said section shall be utilised for the following purposes, namely :—

- (i) for assisting the National Council for Cement and Building Materials, a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) for partly meeting its recurring expenditure, provision for depreciation, capital expenditure not covered under grant-in-aid from Government, and for carrying out Research and Development Projects and Training Programmes in the interest of the cement industry as may be decided by the Development Council;
- (ii) suggesting norms and methodology for productivity improvement covering production, energy, maintenance, quality, environmental improvement and cost reduction;
- (iii) providing guidance and assistance in identification and optimum exploitation of raw materials for manufacture of cement and building materials;
- (iv) providing design and engineering support for setting up and modernisation of cement plants;
- (v) development of new materials and processes for cement manufacture including improved refractories;
- (vi) promoting environmental improvement programmes for the cement industry covering control of dust emission, noise pollution and environmental impact assessment in limestone quarries and cement plants;
- (vii) promoting standardisation and quality control programmes in cement manufacture including providing testing and calibration support services to the cement industry;
- (viii) development of bulk supply and distribution system for cement by rail, road and waterways and improved system for packaging;
- (ix) promoting the training of persons engaged, or proposing engagement, in the cement industry and their education in technical or artistic subjects relevant thereto;
- (x) development of national data bank and information services and library and documentation services for cement industry and dissemination of industrial information through publications;
- (xi) recommending targets for production, coordinating production programmes and reviewing progress thereof from time to time;
- (xii) assisting in the distribution of materials and promoting arrangements for obtaining materials for the cement industry;

- (xiv) defraying such minimum administrative expenses as may be involved in the discharge of its functions, including travelling allowance for the members of the Development Council.

(See Rule 3)

Address.....

Signature of Manufacturer
[File No. 13(5)/90-Cement]
A.P. SINGH, Jt. Secy.